Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय माध्यस्थम् अधिकारी (जिला कलक्टर)** मुकाम **चित्तौड़गढ**

चुन्नीलाल बनाम **परियोजना निदेशक NHAI**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **3 जी (5) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956**

किस्म मुकदमा **राजस्व अपील (NHAI)** नं0 **002** सन् **2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.07.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी छोगालाल जाट हाजिर। वकील प्रत्यर्थी मुकुट बिहारी दाधीच हाजिर। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई मजीद बहस प्रार्थना–पत्र को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र एवं मियाद प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया प्रार्थी को जानकारी नहीं रही इस कारण से प्रार्थी की और से प्रार्थना–पत्र अन्दर अवधि पेश नहीं किया जा सका एवं जानकारी प्राप्त होते ही प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत् कायम मुकाम पेश किया गया है। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब का कारण संतोषजनक है एवं इसी आशय का प्रार्थी द्वारा शपथ–पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र को अन्दर अवधि शुमार किये जाने का आदेश दिलवाया जावें। इसके पश्चात् विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 03 जा0दी0 में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि मृतक अपीलार्थी चुन्नीलाल पिता नोला अहीर निवासी जोजरों का खेडा का स्वर्गवास दिनांक 28. 05.2024 को हो चुका है व प्रार्थी की पत्नी का भी पूर्व में स्वर्गवास होकर प्रार्थी सीताराम की एक मात्र वैध वारिसान है जिनके अलावा मृतक चुन्नीलाल के और कोई वारिसान नहीं है जिसको रेकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर मृतक प्रार्थी चुन्नीलाल के वारिस को रेकार्ड पर लिवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की। इस पर हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी ने सर्व प्रथम मियाद प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया की प्रार्थी सीताराम को प्रकरण से प्रारम्भ से जानकारी रही है एवं प्रार्थी अपने पिता के साथ लगातार उपस्थित	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रहा है। इसके साथ ही न्यायालय आदेश दिनांक 20.09.2023 से अपीलार्थी पर लगाई गई कॉस्ट राशि रूपये 5000/- अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र प्रार्थी सीताराम द्वारा जरिये चालान जमा कराया जाकर चालान की प्रति दिनांक 29.11.2023 को पेश की गई उस पर प्रार्थी सीताराम के हस्ताक्षर अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बाबत् मियाद अधिनियम खारीज किये जाने योग्य है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा मृतक अपीलार्थी चुन्नीलाल पिता नोला अहीर का एकमात्र विधिक वारिसान होने का तथ्य प्रार्थी के शपथ-पत्र के बिना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है एवं ना ही प्रार्थी सीताराम द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य यथा मृतक चुन्नीलाल पिता नोला अहीर का विरासतन नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि, एवं प्रार्थी चुन्नीलाल पिता नोला अहीर की पत्नी का मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति इत्यादि पेश नहीं किये गये है, अतः इस आधार पर भी प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आदेश 22 नियम 03 जा0दी0 खारीज किये जाने योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस प्रार्थना-पत्र समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस प्रार्थना-पत्रों का चित्त मन से शान्ति पूर्वक चिंतन-मनन किया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना-पत्र आदेश 22 नियम 03 जा0दी0 के संबंध में विवेचन कराना उचित समझते है। मृतक अपीलार्थी चुन्नीलाल पिता नोला अहीर की मृत्यु दिनांक 28.05.2024 को हो चुकी है। इसकी पुष्ठि पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण-पत्र से होती है। न्यायालय आदेशिका दिनांक 09.07.2024 अनुसार अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा स्वयं न्यायालय को अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी चुन्नीलाल पिता नोला अहीर की मृत्यु हो चुकी है एवं मृतक अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा की प्रार्थी सीताराम की और से अधिकार पत्र एवं प्रार्थना-पत्र बाबत् कायम-मुकाम पेश किये गये है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रकरण की जानकारी नहीं होने का तथ्य मियाद प्रार्थना-पत्र में अंकित किया गया है। इस संबंध में न्यायालय आदेश दिनांक 20.09.2023 से प्रार्थी पर लगाई गई कॉस्ट राशि प्रार्थी सीताराम द्वारा ही दिनांक 29.11.2023 को जरिये चालान जमा करवाई गई है। इसके प्रमाण में प्रार्थी के उक्त चालान की चस्पा प्रति पर लघु हस्ताक्षरा अंकित है	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जो कि रिकार्ड पर है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रकरण की जानकारी निश्चित तौर होना प्रमाणित पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 03 जा0दी0 में मृतक अपीलार्थी चुन्नीलाल पिता नोला अहीर का एकमात्र वैध वारिसान होने का तथ्य अंकित किया है एवं उक्त प्रार्थना–पत्र की पुष्ठि में प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र पेश नहीं करना इस तथ्य संदेहास्पद करता है। प्रार्थना–पत्र के समर्थना में प्रार्थी मृतक खातेदार चुन्नीलाल पिता नोला अहीर के विरासतन नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं प्रार्थी की पत्नी का मृत्यु प्रमाण–पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता था, किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ किसी भी प्रकार से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किये जाने की और इंगित करते है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी सीताराम पिता चुन्नीलाल जाति अहीर निवासी जोजरों का खेडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 03 जा0दी0 बाबत् मृतक अपीलार्थी चुन्नीलाल पिता नोला अहीर के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु मियाद व गुणावगुण सारहीन होकर बलहीन होने से दोनो प्रार्थना–पत्र खारीज किये जाते है एवं मृतक अपीलार्थी चुन्नीलाल पिता नोला अहीर निवासी जोजरों का खेडा द्वारा प्रस्तुत हस्तग प्रकरण अन्तर्गत धारा **3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956** को अपीलार्थी के अभाव में उपशमन **(Abatement)** में खारीज किया जाता है। तद्नुसार पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखगार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 01.07.2025 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	